(5)

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/फैक्स

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश

5वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

डीजी रेलवे सरकुलर संख्या-4/2013 (4352) दिनांकः मई 14, 2013

समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश में कुल 9500 कि0मी0 रेलवे लाइन बिछी हुई है तथा कुल 922 रेलवे स्टेशन हैं तथा उ0प्र0 से 2400 ट्रेनें गुजरती हैं, जिसमें प्रतिदिन लगभग 13 लाख यात्री यात्रा करते हैं, जिनकी सुरक्षा का दायित्व राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे एवं रेलवे सुरक्षा बल का है।

जीआरपी की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, समाज में जीआरपी की छवि को बेहतर बनाने तथा अपराध नियंत्रण की दिशा में निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं:-

1- जिस प्रकार समाज में 5 से 10 प्रतिशत लोग अपराधी किस्म के होते हैं, उसी प्रकार पुलिस विभाग में कुछ पुलिस कर्मी भी असमाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध एवं अशोभनीय हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों को रक्षक के स्थान पर भक्षक कहा जाना अतिश्योक्ति नहीं होगी।

2- मेरे संज्ञान में आया है कि समाज के निर्बल, दुर्बल, निरीह, एवं असहाय व्यक्तियों/ महिलाओं के साथ सामान/गठरियां आदि चेक करने के बहाने उनसे अभद्र व्यवहार कर वसूली भी की जाती है, जो अधिकांशतः जनरल कोचों में ज्यादा होता है। अतः ऐसे बदमुजन्ना पुलिस कर्मियों के मध्य यह संदेश पहुँच जाये कि वह तत्काल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार ले आयें और शालीन, मृदुभाषी बनकर लोगों को न्याय दिलायें तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करें अन्यथा मैं पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसे कर्मियों के प्रति कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने में कतई संकोच नहीं किया जायेगा अर्थात उन्हें किसी भी दशा में बख्शा नहीं जायेगा तथा दूसरी ओर जो पुलिसकर्मी अच्छे कार्य/आचरण के साथ मानवीय रुख अपनाते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निवर्हन करेंगे, उन्हें पुरस्कृत करते हुए प्रोत्साहित भी किया जायेगा। इस संदर्भ में मेरे द्वारा स्वयं भी आकस्मिक एवं गोपनीय रूप से भ्रमण कर चेकिंग की जाएगी और यदि प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आये तो दोषी कर्मी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

3- रेलवे स्टेशनों पर मौजूद भिखारियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है। उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने अपने परिपत्र संख्या-16/2011 दिनांकः 17-07-2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम-1975 की धारा 9/10 के अन्तर्गत भिक्षुओं को राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) में निरूद्ध करने के सम्बन्ध में प्रदेश के 08 जनपदों में कुल 9 भिक्षुक गृह संचालित हैं। अतः आप भिक्षुकों के साथ मानवीय व्यवहार करने एवं उन्हें स्टेशन से हटाकर इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप उन्हें बेगर्सहोम (भिक्षुक गृह) में शालीनतापूर्वक दाखिल कराने हेतु अपने अधीनस्थों को यथेष्ट निर्देश निर्गत करें।

4- विगत वर्षो के अनुभवों के आधार पर यह सर्वविदित है कि गर्मी के मौसम में जहरखुरानी, चोरी, लूट एवं डकैती जैसे जघन्य अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, जिनकी ओर विशेष ध्यान देकर उनकी रोकथाम के प्रयास किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए तत्काल एक सुविचारित कार्ययोजना तैयार कर उसको मूर्तरूप देकर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराएं और ऐसे अपराधों में संलिप्त/सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित करायें, ताकि इन अपराधों पर पूर्णतः अंकुश लग सके।

5- प्रायः यह दृष्टान्त प्रकाश में आते हैं कि जीआरपी के अधिकारी/कर्मचारियों का रेलवे एवं आरपीएफ के अधिकारी/कर्मचारियों के मध्य सामनजस्य की कमी होने के कारण रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सभी समय-समय पर अथवा माह में एक बार अवश्य रेलवे एवं आरपीएफ के अधिकारियों के साथ गोष्ठियां आयोजित कर आपसी सामन्जस्य सुदृढ़ करें एवं एक-दूसरे से निरन्तर संवाद स्थापित सूचनाओं का आदान-प्रदान करें, जिससे समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने में सभी का योगदान सुनिश्चित हो सके व पुलिस की कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति में गुणात्मक सुधार परिलक्षित हो सके।

6- ट्रेनों में हाल-फिलहाल लड़कियों/महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है, अतः इसके लिए तत्काल निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करायें:-

- ट्रेनों के महिला कोचों की प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जाए और किसी भी दशा में पुरूष यात्रियों को महिला कोचों में प्रवेश न करने दिया जाए। इस कार्य में रेलवे एवं आरपीएफ के कर्मियों का सहयोग प्राप्त किया जाए।
- सभी बड़े थानों पर डिजिटल विडियो कैमरा उपलब्ध कराये जा चुके हैं, अतः प्रशिक्षित कर्मी से निरन्तर गाड़ियों के कोचों में विडियोग्राफी कराई जाए।
- जिन रेलवे स्टेशनों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित हैं, उन पर 24 घण्टे एक कर्मी की ड्यूटी लगाकर उसकी मॉनीटरिंग सुनिश्चित

कराई जाए। मेरे संज्ञान में आया है कि जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद में पुलिस अधीक्षक, रेलवेज मुरादाबाद ने एक महत्वाकांक्षी योजना 'प्रोजेक्ट दृष्टि' का शुभारम्भ किया गया है। इस परियोजना के अनुसार थानों को सी0सी0टी0वी0 से आच्छादित कर उनको इंटरनेट के माध्यम से अनुभागीय नियंत्रण कक्ष पर स्थित कमाण्ड सेन्टर से लिंक गिया गया है, जहाँ पर गठित टीम द्वारा 24 घण्टे निगरानी की जा रही है। उक्त परियोजना के लागू होने से विश्व के किसी भी कोने से सी0सी0टी0वी0 के जीवान्त विजुअल्स 24 घण्टे देखा जाना संभव हो सका है। उक्त परियोजना कार्यान्वित होने से जहाँ जीआरपी में अपराधियों/अपराध नियंत्रण/भीड़ नियंत्रण/यातायात व्यवस्था में लाभकारी साबित हुई है वहीं साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा जनता के साथ किये जा रहे व्यवहार में भी अपेक्षित सुधार आया है। अतः अन्य पुलिस अधीक्षक, रेलवेज भी पुलिस अधीक्षक, रेलवेज मुरादाबाद से संपर्क कर इस परियोजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें तथा अपने अनुभागों में भी इसे कियान्वित कराने पर विचार कर लें, जिससे आप अनुभागीय मुख्यालय पर उपस्थित रहते हुए थानों/रेलवे स्टेशनों पर निगरानी रख सकते हैं।

- रेलवे एक्ट के अनुसार मदिरा का सेवन कर रेल में यात्रा करना दण्डनीय अपराध है, अतः आप सभी संबंधित जनपदों से समय-समय पर ब्रेथएनालाइजर प्राप्त कर उसका सद्पयोग करें। उपर्युक्त के अतिरिक्त ड्यूटी पर जाने के दौरान/वापसी में पुलिस कर्मियों की चेकिंग करें, जिससे उनके ऊपर ड्यूटी पर मदिरा का सेवन न करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडेगा और वह सही ढंग से अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करेंगे।
- रेलवे स्टेशनों पर तथा ट्रेनों में बिना अभिभावक के या भूले-भटके पाए जाने वाले छोटे बच्चों की विशेष निगरानी की जाए और ऐसे बच्चों को चिन्हित कर थानों में गठित बाल कल्याण समिति के सहयोग से यथाशीघ्र उनके माता-पिता/अभिभावक की जानकारी कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

14/5/17

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक रेलवे
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः- पुलिस महानिरीक्षक रेलवे/पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, इलाहाबाद/लखनऊ को कृपया सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।